सं0सं0 3/विविध–01–14/2026

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, राजबंशीनगर, पटना/आई0जी0आई0सी0, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ,पटना/प्रभावती अस्पताल, गयाजी/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।

पटना, दिनांकः

विषयः **सेवानिवृत चिकित्सकों के सेवान्त लाभों के ससमय भुगतान हेतु सेवानिवृति की तिथि से कम से कम 02 (दो) माह पूर्व पेंशन प्रपत्र सहित वांछित अभिलेख/कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः **विभागीय पत्रांक 799(3) दिनांक 12.10.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र के माध्यम से सेवानिवृत एवं आगामी छः माह में सेवानिवृत होनेवाले चिकित्सको का सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियों में पेंशन प्रपत्र सहित वांछित अभिलेखों/कागजातों के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है, परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि सेवानिवृत चिकित्सकों का सेवान्त लाभ की स्वीकृति का प्रस्ताव उनके सेवानिवृति के उपरान्त काफी विलम्ब से उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा पेशन प्रपत्र के साथ वाछित कागजात/अभिलेख आधे–अधूरे भरकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे सेवानिवृत चिकित्सकों को सेवानिवृति के उपरान्त सेवान्त लाभ की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है।

02. अतः छः माह के अन्दर सेवानिवृत होनेवाले चिकित्सकों की जिलावार सूची संलग्न करते हुए निदेशित है कि सेवानिवृत होनेवाले चिकित्सकों से सम्पर्क साधते हुए उनके सेवान्त लाभ की स्वीकृति हेतु निम्नवत अभिलेख/कागजात की समीक्षा कर विभाग को कम से कम 02 (दो) माह पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सेवानिवृत चिकित्सकों को ससमय सेवान्त लाभ की स्वीकृति प्रदान की जा सके।

(i) पेंशन प्रपत्र की तीन मूल प्रति (पूर्ण रूपेण भरा हुआ यथा उपदान की राशि की गणना, पेंशन रूपान्तरण की सूचना तथा फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नियंत्री पदाधिकारी से अभिप्रमाणित)।
(ii) महालेखाकार/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र।
(iii) आवास बकाया रहित प्रमाण पत्र।
(iv) अंतिम पदस्थापन स्थल से निर्गत बकाया रहित प्रमाण पत्र।
(v) सम्पूर्ण सेवा इतिहास (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रहे हैं अथवा नहीं एवं अविनियमित अवधि रहने अथवा नहीं रहने की सूचना सहित)।

कृ0प0उ0.....

917(3)
22/10/26

(vi) अद्यतन वेतन पर्ची।
(vii) महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा निर्गत जॉच पत्र (पूर्णरूपेण भरा हुआ)।
(viii) महालेखाकार/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता प्रतिवेदन (यदि उपलब्ध हो तो)

03. वर्णित स्थिति में निदेशित है कि उपर्युक्त आदेश/निदेश को दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाए तथा अधीनस्थ को इससे अवगत कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
(रेणु कुमारी)

अनुलग्नकः यथोक्त ।

ज्ञापांक : 917(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 22/10/26

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी अधीक्षक, सदर अस्पताल/सभी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/अपर सचिव, गृह (कारा एवं आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः माननीय मत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव।